उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–124/ix/176/2007
देहरादून, दिनांक 04 अप्रैल 2011
मई

अधिसूचना

राज्यपाल, एतद्द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 वर्ष 2000) की धारा 90 की उपधारा (1) तथा (2) के खण्ड (क) सपठित धारा 6 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रॉनिक रिकार्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रॉनिक रिकार्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

परिभाषाएं

2. (1) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल होते हुए भी इस नियमावली में–

(क) "अतिरिक्त कर" से "उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003" के अधीन विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर अभिप्रेत है ;

(ख) "कर" से "उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003" के अधीन विनिर्दिष्ट कर अभिप्रेत है ;

(ग) "यूजर चार्ज" से इस नियमावली के नियम 3 में विहित यूजर चार्ज अभिप्रेत है ;

(2) मोटरयान अधिनियम, 1988 (59 वर्ष 1988), केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 एवं उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (21 वर्ष 2000) में प्रयुक्त और इस नियमावली में अपरिभाषित

शब्दों के वही अर्थ होंगें, जो क्रमशः उक्त अधिनियम और नियमों में दिये गये हैं।

इलैक्ट्रॉनिक रिकार्ड के लिए यूजर चार्ज

3. मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण, परमिट, फिटनेस, चालक अनुज्ञप्ति, कण्डक्टर अनुज्ञप्ति, कर/अतिरिक्त कर एवं तत्सम्बन्धी कार्यो से सम्बन्धित किसी अभिलेख के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं तद्धीन बनाये गये नियमों तथा उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2003 एवं तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन देय कर/अतिरिक्त कर, फीस के अतिरिक्त इलैक्ट्रानिक रिकार्ड्स दाखिल, सृजित एवं जारी करने के लिए प्रति संव्यवहार ₹ 20.00 यूजर चार्ज लिया जायेगा ;

परन्तु यह कि यदि निर्गत किया जाने वाला प्रपत्र स्मार्ट कार्ड 'चिप सहित' के रूप में होगा तो संव्यवहार यूजर चार्ज की धनराशि ₹ 100.00 प्रति संव्यवहार होगी।

राज्य/जिला स्तरीय परिवहन प्रबन्ध समितियों का गठन

4. इलैक्ट्रानिक रिकार्ड की गुणवत्ता बनाये रखने एवं दक्षता में सुधार लाने के प्रयोजन से नियम 3 के अधीन अधिग्रहीत यूजर चार्ज के अधीन प्राप्त धनराशि के प्रबन्धन हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (संख्या 21 वर्ष 1860) के प्राविधानों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय परिवहन प्रबन्ध समितियॉ गठित की जायेगी; अर्थात–

(1) **राज्य स्तरीय परिवहन प्रबन्ध समिति :–**
(एक) परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड — अध्यक्ष
(दो) अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, — सदस्य।
(तीन)एन0आई0सी0 द्वारा नामित अधिकारी, — सदस्य।
(चार) वरिष्ठ लेखाधिकारी और उनकी अनुपस्थिति में सहायक लेखाधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय उत्तराखण्ड, सदस्य।
(पांच) सहायक परिवहन आयुक्त और उनकी अनुपस्थिति में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय, सदस्य/संयोजक।

(2) **जिला स्तरीय परिवहन प्रबन्ध समितिः–**
(एक) सम्बन्धित संभागीय परिवहन अधिकारी, अध्यक्ष।
(दो) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) और उनकी अनुपस्थिति में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन),

सदस्य / संयोजक।

(तीन) एन0आई0सी0 के जनपद स्तरीय अधिकारी सदस्य

परिवहन प्रबन्ध समितियों के कार्य एवं दायित्व

5. परिवहन प्रबन्ध समितियों के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगें, अर्थात–

(क) यथा स्थिति राज्य स्तरीय एंव जिला स्तरीय कार्यालयों, जिसमें संभागीय परिवहन कार्यालय एवं चेकपोस्ट भी सम्मिलित है, में स्थापित कम्प्यूटरों, इलैक्ट्रानिक रिकार्डस, फार्म्स, सॉफ्टवेयर की समीक्षा की जायेगी एवं सभी उपकरणों को सदैव क्रियाशील रखा जाएगा;

(ख) एन0आई0सी0 के सहयोग से आपरेशनल मैनपावर की व्यवस्था करना;

(ग) नियम 3 के अधीन प्राप्त धनराशि का प्रबन्धन एवं उसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड व्यवस्थित रखने में करना;

(घ) जिला स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्रतिमाह प्राप्त यूजर चार्ज का बैंक ड्राफ्ट ठीक उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति को भेजा जायेगा;

(ड.) राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा जिला स्तरीय प्रबन्ध समिति से इस प्रकार प्राप्त बैंक ड्राफ्ट एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय में प्राप्त यूजर चार्ज को भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, देहरादून में परिवहन आयुक्त द्वारा अधिकृत अपर परिवहन आयुक्त द्वारा इस निमित्त खोले गये बचत बैंक खाते में जमा किया जायेगा;

(च) खाते का संचालन परिवहन आयुक्त कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी परिवहन आयुक्त कार्यालय के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। खाते में संकलित धनराशि का उपयोग राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति के संकल्प के अनुसार होगा।

यूजर चार्ज प्राप्ति की रसीद एवं अभिलेखों का रख

6. यूजर चार्ज की प्राप्ति की रसीद राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित प्ररूप पर दी जायेगी तथा उसकी प्रविष्टि प्रतिदिन केवल इस निमित्त रखी गयी रोकड़ बही में की

रखाव

जायेगी तथा राज्य स्तरीय समिति को भेजे गये बैंक ड्राफ्ट्स का अभिलेख रखा जायेगा, जिसका सत्यापन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष या उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त यूजर चार्ज से सम्बन्धित

(क) बैंक पासबुक,
(ख) चैकबुक रजिस्टर,
(ग) ट्रेजरी चालान रजिस्टर,
(घ) धनराशि के उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख रखे जायेगे।

यूजर चार्ज के उपयोग हेतु प्रस्ताव

7. (1) प्रत्येक जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रति वर्ष 15 दिसम्बर तक आगामी वित्तीय वर्ष के लिये निम्नलिखित मदों में इलेक्ट्रानिक रिकार्डस के अनुरक्षण/संवर्धन हेतु यूजर चार्ज के उपयोग के लिये प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति को भेजा जायेगा; अर्थात—

(एक) कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं सहायक उपकरणों की मरम्मत की व्यवस्था एवं अनुरक्षण;
(दो) जनरेटर के पी.ओ.एल. और आकस्मिक स्थिति में मरम्मत की व्यवस्था;
(तीन) सर्वर रूम में स्थापित ए0सी0 की मरम्मत की व्यवस्था;
(चार) अन्य कम्प्यूटरीकरण सम्बन्धी कार्य/आइटम का क्रय, मरम्मत;
(पांच) कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टेशनरी/कार्टिरेज/प्रिन्टर रिबन एवं फर्नीचर आदि का क्रय ;
(छः) कार्यालय के प्रभावी एवं सुगम संचालन हेतु आवश्यक सूक्ष्म सिविल कार्य (पार्टीशन आदि), जिनमें सामान्य अनुरक्षण, मरम्मत सम्मिलित है;
(सात) कंजूमेबिल्स यथा— कार्टिरेज रिफिलिंग, प्रिन्टर हैड, ड्रम किट आदि की व्यवस्था;
(आठ) विशेष परिस्थितियों में विभिन्न अभिलेख एवं प्रपत्रों के मुद्रण की व्यवस्था;
(नौ) सम्बन्धित कार्यालय में यूजर चार्जेज को प्रदर्शित करते हुए डिस्प्ले बोर्डो, की व्यवस्था तथा प्रचार सामग्री; और
(दस) अन्य सम्बन्धित कार्य,

(2) राज्य स्तरीय समिति प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लेगी जो अंतिम होगा।

कम्प्यूटर के उपयोग हेतु सामग्री क्रय करने का अधिकार

8 राज्य स्तरीय समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि की सीमा के अन्तर्गत संभागीय परिवहन अधिकारी को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अध्यधीन किसी एक समय मे ₹ 1.00 लाख एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष, उप संभागीय परिवहन कार्यालय)

को किसी एक बार ₹ 50 हजार की सीमा तक कम्प्यूटर के उपयोग हेतु सामग्री क्रय करने का अधिकार होगा। उससे अधिक की खरीद पर राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा।

लेखा सम्परीक्षा 9 राज्य स्तरीय समिति प्रतिवर्ष यूजर चार्ज से प्राप्ति एवं क्रय से सम्बन्धित लेखों की लेखा परीक्षा के लिये एक लेखापरीक्षक नियुक्त करेगी, उसका पारिश्रमिक तय करेगी, जिसका भुगतान प्राप्त यूजर चार्ज से किया जायेगा। लेखापरीक्षक अपनी रिपोर्ट राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगा तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

अन्य उपबन्ध 10 (1) यूजर चार्ज से प्राप्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर जारी नियमो/उपबन्धों के अधीन रहते हुये किया जायेगा,

(2) किसी भी दशा में यूजर चार्ज से प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) यूजर चार्ज की दरों में कोई परिवर्तन शासन के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

संख्या– (1)/ix/176/2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामाग्री रूड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियों का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट की 100 मुद्रित प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
अपर सचिव।

संख्या–124 (2)/ix/176/2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– मंडलायुक्त गढ़वाल/कुमांऊ, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
7– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
अपर सचिव।